डा0 भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

कार्यालय आदेश

जन सूचना विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आये आवेदनो की सूचना सम्बन्धित विभागों के प्रभारी/अधिकारियों/विभागाध्यक्षों से संकलित कर आवेदकों को सूचना प्रदान कर आवेदनों का निस्तारण करने एवं सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग, लखनऊ में दायर अपीलों के निस्तारण हेतु कुलपति जी के आदेश दिनांक 18.06.2018 के अनुपालन में पूर्व नामित सूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारियों को समेकित करते हुए पुनः से अधोलिखित अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी, जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी नामित किये जाते हैं । सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 एवं उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली–2015 जन सूचना विभाग से प्राप्त कर अध्ययन कर सकते हैं ।

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी–प्रो0 मनोज श्रीवास्तव, समाज विज्ञान संस्थान, आगरा को नामित किया जाता है । प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 व जन सूचना नियमावली–2015 का भलीभाँति अध्ययन कर प्रथम अपील के रूप में प्राप्त आवेदनों का अध्ययन कर उनकी वाँछित सूचनाओं आवेदकों को प्रदान करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करेंगे तथा आवेदनों का अपने विवेकाधीन निर्णय लेकर सूचना आवेदनो का निस्तारण करेंगे । प्रत्येक माह में कम से कम दो बैठके सूचना से सम्बन्धित विभागों के सूचना से सम्बन्धित को बुलाकर वाँछित सूचना देने हेतु निर्देशित/आदेशित करेंगे ।
2. जनसूचना अधिकारी–उप कुलसचिव, जन सूचना पदेन अर्थात (भविष्य में जो भी उप कुलसचिव ,जन सूचना विभाग रहेगा वही जन सूचना अधिकारी जन सूचना विभाग के होंगे) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत प्राप्त सूचना आवेदनों की दैनिक समीक्षा करेंगे तथा आवेदक को 30 दिन में सूचना देने हेतु सूचना से सम्बन्धित को निर्देशित/आदेशित करेंगे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग, लखनऊ में दायर अपीलों के निस्तारण करायेंगे सूचना से सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा सूचना देने मे विलम्ब पर सूचना आयोग द्वारा स्पष्टीकरण आदेश अथवा दण्ड अधिरोपित कर दण्ड वसूली अथवा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की जाती है तो उसे दोषी के विरूध्द अंतरित करने की संस्तुति माननीय उ0प्र0 राज्य सूचना आयुक्त को कर सकेंगे ।
3. सहायक जन सूचना अधिकारी– अधीक्षक, जन सूचना ,जो जनसूचना अधिकारी के निर्देशन में जनसूचनाओं का निष्पादन करायेंगे।
4. सहायक जन सूचना अधिकारी– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–5 के अनुसार जो व्यक्ति किसी आवेदक की वाँछित सूचना के अधिक नजदीक होगा वह भी सूचना अधिकारी की श्रेणी में आता है अतः विश्वविद्यालय के सभी निदेशक/निदेशिका/विभागाध्यक्ष/सहायक कुलसचिव/उप कुलसचिव/अधीक्षक/प्रभारी/प्रभारित विभागों की वाँछित जन सूचनाओं का संकलन कर जन सूचना विभाग को प्रेषित करेंगे । सम्बन्धित द्वारा सूचना देने में विलम्ब पर सूचना आयोग द्वारा स्पष्टीकरण आदेश अथवा दण्ड अधिरोपित कर दण्ड वसूली अथवा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की जाती है तो उसे दोषी के विरूध्द अंतरित करने की संस्तुति जन सूचना अधिकारी द्वारा माननीय उ0प्र0 राज्य सूचना आयुक्त को की जा सकती है ।

कुलसचिव

का0आ0संख्या– 5217/444 /2018 5/7/18 दिनांक 28.06.2018

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सचिव,प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
2. सचिव, उ0प्र0राज्य सूचना आयोग, लखनऊ ।
3. जिलाधिकारी, आगरा ।
4. अधीक्षक, कुलपति सचिवालय को कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।
5. सम्बन्धित नामित समस्त अधिकारी/निदेशक/निदेशिका/विभागाध्यक्षों/प्रभारियों एवं अधीक्षकों को इस आशय से कि वे नामित अपने–अपने पद दायित्वों का निर्वहन कर सूचना विभाग के सभी आवेदनों/शिकायतो का सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में निहित प्राविधानों एवं समयावधि के अन्तर्गत निस्तारण कराकर समस्त रिकार्ड को अध्यतन स्थिति में लाने का कष्ट करेंगे ।
6. अधीक्षक, कुलसचिव कार्यालय
7. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट को इस आशय से कि वे इस कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यथास्थान प्रदर्शित करायें ।
8. अधीक्षक,जनसूचना विभाग को इस आशय से कि कार्यालय आदेश के अनुसार होर्डिंग एवं सूचना पट्टिकाओ में बदलाव करायें ।
9. अभिलेख खण्ड

कुलसचिव